न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– अपीलडि/टीए/4469/2004/जोधपुर

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर

–अपीलार्थी

बनाम

1. नरपतसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत निवासी ग्राम देवलिया तहसील व जिला जोधपुर

–प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य
श्री रामनिवास जाट, सदस्य

उपस्थित

श्रीमती पूनम माथुर, अति. राजकीय अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री विरेन्द्रसिंह राठौड, अधिवक्ता प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक 31.12.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18–08–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी प्रत्यर्थी ने विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, जोधपुर के समक्ष एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत अपीलार्थी प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत कर ग्राम देवलिया स्थित आराजी खसरा नम्बर 44 रकबा 16बीघा भूमि बाबत् प्रस्तुत कर घोषणा का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 23-01-2004 से वादी का दावा खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध वादी प्रत्यर्थी ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 18-08-2004 से अपील को स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त करते हुए वादी प्रत्यर्थी को विवादित आराजी को खातेदार घोषित कर दिया। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील द्वितीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की।

3. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. योग्य अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत वादी को खातेदारी अधिकार तभी दिये जा सकते है जबकि वह अधिनियम के प्रभाव में आने के समय काश्तकार रहा है, अन्यथा वादी प्रत्यर्थी को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। उनका कथन है कि वादी प्रत्यर्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने की दिनांक से निरन्तर विवादित आराजी पर अपना कब्जा काश्त हो, ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य

प्रस्तुत नहीं की गयी। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य नहीं था। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को विधिसम्मत् निर्णय से खारिज किया, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं थी किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उक्त तथ्यों एवं विधिक स्थिति की अनदेखी करते हुए केवल मात्र कब्जे के आधार पर अपील को स्वीकार कर वादी को विवादित आराजी का खातेदार घोषित कर दिया, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को बहाल रखा जावे।

5. इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी का गावं वक्त जागीर खालसा गांव था और उस समय विवादित आराजीपर वादी के दादा मुकनसिंह पुत्र पृथ्वीसिंही का कब्जा था। दादा मुकनसिंह के लाऔलाद फौते हो जाने पर विवादित आराजी उनके भतीजे भंवरसिंह पुत्र संजानसिंह के नाम रहीं है, उसके बाद अब वादी विवादित आराजी का हकदार है। उनका कथन है कि विवादित आराजी पर वादी प्रत्यर्थी का कब्जा काश्त वर्षो से निरन्तर चला आ रहा है एवं एडवर्स पजेशन के आधार पर वादी विवादित आराजी का खातेदार हो चुका है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने उनके पक्षकार की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य की अनदेखी करते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उनके पक्षकार की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होने से पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया

जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को खारिज किया जावे।

6. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा की गयी बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां, पारित निर्णयों एवं उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी प्रत्यर्थी ने विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, जोधपुर के समक्ष एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत अपीलार्थी प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत कर ग्राम देवलिया स्थित आराजी खसरा नम्बर 44 रकबा 16बीघा भूमि पर तीन पीढियों से लगातार काबिज काश्त होने के आधार पर घोषणा का अनुतोष चाहा। प्रस्तुत प्रकरण में निहित विवादित आराजी राजस्व अभिलेख में सिवायचक भूमि दर्ज रही है, जिस पर वादी प्रत्यर्थी अपने दादा के समय से काबिज काश्त चला आ रहा है। राजस्व अभिलेख में दर्ज सिवायचक भूमि पर सर्वप्रथम तो उत्तराधिकार के नियम लागू नहीं होते है, द्वितीय विवादित आराजी वादी प्रत्यर्थी की पिता की नहीं है, जिस पर अपने मन चाहे रिश्तों के अनुसार कब्जे में आना बता दे। इसके साथ ही वादी प्रत्यर्थी ने अपने वादपत्र में यह अंकित नहीं किया है कि वह भूमिहीन काश्तकार है तथा इस भूमि के अलावा उसके पास कृषि जोत की अन्य भूमि नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने सम्वत् 2010 से विवादित आराजी पर काबिज काश्त होना अंकित करते हुए घोषणा का अनुतोष चाहा है। विवादित आराजी पर खातेदारी घोषणा के लिए वादी को यह सिद्ध करना होगा कि वह एडमिटेड टिनेन्ट है अर्थात् वादी व राज्य सरकार के मध्य लगान अदायगी लेने देने का सम्बन्ध हो किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने एक भी लगान की रसीद पेश नहीं की है। प्रस्तुत प्रकरण में वादी प्रत्यर्थी

द्वारा ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो कि वादी एवं उसके पूर्वज विवादित आराजी पर सद्भावी काश्तकार के रूप में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से निरन्तर काबिज काश्त रहे हो। सद्भावी काश्तकार के रूप में निरन्तर विवादित आराजी पर काबिज काश्त नहीं होने के आधार पर वादी विवादित आराजी की खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकार प्रावधित प्रावधानों के अनुसार नहीं है।

8. इसके साथ प्रस्तुत प्रकरणा में यह भी उल्लेखनीय है कि वादी ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपने वादपत्र में अपने दादा मुकनसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह को जागीर समाप्ति के समय कितनी भूमि मिली, कितनी उसके कब्जे काश्त में थी एवं कितनी भूमि उसकी खातेदारी में दर्ज की गयी ? का उल्लेख नहीं किया गया है। ना ही वादी के पिता को कितनी भूमि प्राप्त हुई एवं कितनी पर उसका कब्जा काश्त था, आदि का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे यही प्रकट होता है कि वादी न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है तथा वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों बाबत् स्पष्ट एवं पूर्ण अंकन नहीं किया है। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए वादी प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत वाद को विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री से खारिज किया, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं थी किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों एवं विधिक स्थिति की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय से वादी को विवादित आराजी का खातेदार घोषित कर तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता कारित की है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

8. परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18-08-2004 निरस्त किया जाता है तथा विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23-01-2004 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य

(सुनील कुमार शर्मा)
सदस्य